1995, the report, *inter-alia*, covers the collapse of the Barings Bank (UK & Singapore).

(b) and (c) Supervision of the banks is conducted by the Reserve Bank of India. RBI, has issued necessary guidelines and instructions for this purpose. RBI carries out periodic inspections and insists upon the Banks to have concurrent audits. In 1994, two institutions, namely, the Board for Financial Supervision and a separate Department of Supervision were set up in the Reserve Bank of India to ensure tighter control and Surveillance over Banks, Financial Institutions and Non-Banking Financial Companies.

अश्लील फिल्मों पर प्रतिबंध

*10. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में अनेक अश्लील फिल्में दिखायी जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने ऐसी फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कौन-से प्रभावी कदम उठाये हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी कितनी फिल्मों पर प्रतिबंध लगाया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) सरकार को फिल्मों में अश्लील दृश्यों के बारे में शिकायतें/प्रेस रिपोर्टें समय-समय पर प्राप्त होती रहती हैं। इन रिपोर्टों की पुष्टि हेतु किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड के प्रमाण पत्र के बाद ही सभी फिल्में प्रदर्शित की जाती हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अश्लीलता के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा किसी फिल्म पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया।

जीवन बीमा निगम/साधारण बीमा निगम द्वारा शुरू की गई आवास-योजनाएं

*11. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र में जीवन बीमा निगम/साधारण बीमा निगम द्वारा शुरू की गई आवास योजनाओं का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) राजकोट और भावनगर में जीवन बीमा निगम के विभागीय कार्यालयों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान इस क्षेत्र की आवास योजना के अन्तर्गत आवेदकों को उपलब्ध कराई गई राशियों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस क्षेत्र के मध्य आय वर्ग के लोगों को अधिक से अधिक आवासीय ऋण उपलब्ध कराने के लिए जीवन बीमा निगम को उचित निर्देश दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल): (क) से (घ) भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय साधारण बीमा निगम ने सूचित किया है कि वे देश में आवास योजनाएं नहीं चलाते हैं। योजना आयोग आवास क्षेत्र में ग्रामीण एवं शहरी समाजोन्मुख योजनाओं सहित राज्यों की विकास योजनाओं की सहायता के लिए पारस्परिक सहमति प्राप्त ऋणों के रूप में दी जाने वाली जीवन बीमा निगम/साधारण बीमा निगम की निधियों को प्रत्येक वर्ष आबंटित करता है। इसके अतिरिक्त, जीवन बीमा निगम पालिसीधारकों को "अपना घर बनाओ" योजना, कर्मचारी सहकारी आवास योजना, व्यक्तिगत कर्मचारी आवास योजना, एजेंटों को ऋण देने के लिए योजना और यतिगत कर्मचारी आवास (फ्लैट) योजना के अन्तर्गत ऋण प्रदान करता है। जीवन बीमा निगम ने 10 अगस्त, 1993 से पालिसीधारकों को "अपना घर बनाओ" योजना के अन्तर्गत ऋण देना बन्द कर दिया है। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा सौराष्ट्र के कच्छ क्षेत्र में गिरवी पर स्वीकृत किए गए आवास ऋणों को दर्शाने वाला एक विवरण, अनुपत्र के रूप दिया गया है। [देखिये परिशिष्ट 176, अनुपत्र संख्या 1] जीवन बीमा निगम द्वारा गिरवी पर प्रदान किये जाने वाले ऋण सभी पालिसीधारकों को दिए जाते हैं, जिसमें मध्य आय वर्ग के पालिसीधारक भी शामिल हैं।